

SHRI NITIN JAIRAM GADKARh Sir, this subject relates to the Ministry of Commerce. The DPIIT is the concerned authority that deals with this subject.

But, as far as MSMEs are concerned, we have scheme that we are giving 15 per cent of the project cost as the grant-in-aid. The maximum limit is rupees one crore. However, one thing is clear that we have to encourage new research and development because innovation, entrepreneurship, science & technology, and research is the key to knowledge. And, the conversation of knowledge into wealth is the future for the country. So, in MSME sector, we are seriously thinking about giving priority for all these new inventions and researches. And, we need to simplify the registration system. We are coordinating with the Ministry of Commerce and we will find out a solution.

SHRI RIPUN BORA: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister had recently sanctioned rupees two hundred crores for setting up an MSME Technology Centre in Coimbatore. The Union Government had previously announced twelve such centres for twelve cities. I would like to know from the hon. Minister whether any timeline has been fixed for setting up these twelve centres. Also, will the hon. Minister extend this scheme to other cities also?

SHRI NITIN JAIRAM GADKARI: The Government has already decided giving highest priority for development of skills, new technology and new innovations. About 12 technology centres have already been sanctioned. The Government is giving approximately ₹ 200 crores, which is the cost, for that. We have a collaboration with German institutions where we need to have the latest or the best technology available in the world. One of the problems is about the land acquisition. The land is supposed to be given by the State Government. We are in the process. At maximum places, we have already received the land. The tender process has already started. We will start the work. Within two years, we want to complete that.

MR. CHAIRMAN: Q. NO. 140

सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि

*140. श्री रेवती रमन सिंह: क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में सड़क यातायात में होने वाली दुर्घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रेशर हॉर्न का प्रयोग करना और जनता को यातायात नियमों की पर्याप्त जानकारी न होना उक्त दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक हैं, और

(ग) सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में देश में सड़क यातायात में होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या-क्या आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं?

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री नितिन जयराम गडकरी): (क) से (ग): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 26 राज्यों और 5 संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में सड़क सुरक्षा पर उच्चतम न्यायालय समिति से प्राप्त अनंतिम आंकड़ों के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2019 (सितंबर, 2019 तक) में पिछले कैलेंडर वर्ष 2018 की इसी अवधि (सितंबर, 2018 तक) की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं में कुल मिलाकर 2.2% की कमी आई है। तथापि, इस अवधि के दौरान घातकताओं की कुल संख्या में 0.2% की वृद्धि हुई है। राज्य-वार डेटा उपाबंध में दिया गया है। (नीचे देखिए)।

(ख) सड़क दुर्घटनाएं अनेक कारणों से होती हैं जैसे कि अति गति में वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, शराब पीकर/नशे में वाहन चलाना, अधिक भार से लदे वाहन, कम रोशनी, रेड लाइट को पार करना, ओवरटेकिंग, नगर निकायों की लापरवाही, खराब मौसम, चालक की गलती, गलत दिशा में वाहन चलाना, सड़क की खराब हालत, मोटर वाहन की खराब स्थिति, साइकिल यात्री की गलती, पैदल-यात्री की गलती आदि हैं। हालांकि, प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल के कारण हुई दुर्घटनाओं के संबंध में कोई विशिष्ट डेटा उपलब्ध नहीं है।

(ग) संसद द्वारा पारित मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 सड़क सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है और अन्य विषयों में, यातायात उल्लंघन के लिए दंड में अत्यधिक बढ़ोतरी और उसकी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, किशोर चालक के लिए दंड बढ़ाना, गोल्डन आवर के दौरान नगदी रहित उपचार, वाहन की फिटनेस और चालन का कम्प्यूटरीकरण / स्वचालन, परीक्षण, दोषपूर्ण वाहनों को वापस बुलाना, तीसरे पक्ष की देयता का दायरा बढ़ाना और हिट एंड रन मामलों के लिए बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान आदि इसमें शामिल हैं। संशोधन में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी प्रावधान है। संशोधन में सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार और जीवन क्षति को कम करने के लिए कानून को मजबूत किया गया है।

मंत्रालय वाहन सुरक्षा मानकों में सुधार करने, ब्लैक स्पॉट्स से निपटने के लिए स्थान विशिष्ट उपाय करने के विनियमन जारी करता है और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां जैसे सड़क सुरक्षा समर्थन और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करता है।

उपाबंध

सड़क दुर्घटनाएं, मारे गए और घायल व्यक्तियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जनवरी-सितम्बर, 2018			जनवरी-सितम्बर, 2019			जनवरी-सितम्बर, 2018 का तुलना में				
								जनवरी-सितम्बर, 2019 के दौरान वृद्धि/कमी				
		सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति	सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	मारे गए व्यक्ति	घायल व्यक्ति	सड़क दुर्घटनाएं	सड़क दुर्घटनाएं %	मारे गए व्यक्तियों	मारे गए व्यक्ति %	घायल व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आंध्र प्रदेश	15,029	5,638	17,787	15,545	6,023	18,515	516	3.4%	385	6.8%	728
2.	अरुणाचल प्रदेश	138	107	309	142	69	249	4	2.9%	-38	-35.5%	-60
3.	असम	6,099	2,125	5,445	6,312	2,404	5,749	213	3.5%	279	13.1%	304
4.	बिहार	7,139	4,973	5,131	7,512	5,428	5,318	373	5.2%	455	9.1%	187
5.	छत्तीसगढ़	10,525	3,337	9,534	10,731	3,764	10,411	206	2.0%	427	12.8%	877
6.	गोवा	2,752	186	1,122	2,521	203	1,012	-231	-8.4%	17	9.1%	-110
7.	गुजरात	13,952	5,943	12,959	12,610	5,532	12,224	-1,342	-9.6%	-411	-6.9%	-735
8.	हरियाणा	8,521	3,882	7,401	8,140	3,744	6,976	-381	-4.5%	-138	-3.6%	-425
9.	हिमाचल प्रदेश	2,583	1,016	4,523	2,350	907	4,039	-233	-9.0%	-109	-10.7%	-484

10.	जम्मू और कश्मीर	4,485	757	6,014	4,309	739	5,711	-176	-3.9%	-18	-2.4%	-303
11.	झारखंड	3,895	2,545	2,616	3,872	2,854	2,416	-23	-0.6%	309	12.1%	-200
12.	कर्नाटक	31,291	8,140	38,859	30,468	7,828	38,204	-823	-2.6%	-312	-3.8%	-655
13.	केरल	29,895	3,224	33,991	30,790	3,362	34,427	895	3.0%	138	4.3%	436
14.	मध्य प्रदेश	39,101	8,092	42,088	38,492	8,235	41,869	-609	-1.6%	143	1.8%	-219
15.	महाराष्ट्र	26,169	9,821	23,508	25,130	9,463	22,031	-1,039	-4.0%	-358	-3.6%	-1,477
16.	मणिपुर	410	94	703	500	106	805	90	22.0%	12	12.8%	102
17.	मेघालय	311	124	240	408	133	275	97	31.2%	9	7.3%	35
18.	मिजोरम *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	नगालैंड	317	25	159	216	27	121	-101	-31.9%	2	8.0%	-38
20.	ओडिशा	8,296	3,826	8,722	8,203	4,115	8,268	-93	-1.1%	289	7.6%	-454
21.	पंजाब	4,513	3,284	2,594	4,488	3,233	2,617	-25	-0.6%	-51	-1.6%	23
22.	राजस्थान	16,541	7,702	16,671	18,012	7,882	17,787	1,471	8.9%	180	2.3%	1,116
23.	सिक्किम *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	तमिलनाडु	49,338	9,451	57,733	44,197	8,250	52,043	-5,141	-10.4%	-1,201	-12.7%	-5,690
25.	तेलंगाना	16,626	4,922	18,126	16,029	5,142	16,482	-597	-3.6%	220	4.5%	-1,644
26.	त्रिपुरा *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Oral Answers

[2 December, 2019]

to Questions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	उत्तराखंड	1,078	771	1,217	1,022	642	1,160	-56	-5.2%	-129	-16.7%	-57
28.	उत्तर प्रदेश	31,719	16,614	22,254	32,255	17,235	22,126	536	1.7%	621	3.7%	-128
29.	पश्चिम बंगाल	9,649	4,362	8,946	9,207	4,214	8,656	-442	-4.6%	-148	-3.4%	-290
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	69	6	62	51	2	40	-18	-26.1%	-4	-66.7%	-22
31.	चंडीगढ़	239	74	226	219	58	229	-20	-8.4%	-16	-21.6%	3
32.	दादरा और नगर हवेली	67	43	61	51	36	93	-16	-23.9%	-7	-16.3%	32
33.	दमन और दीव *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	दिल्ली	4,862	1,270	4,606	4,277	1,027	3,904	-585	-12.0%	-243	-19.1%	-702
35.	लक्षद्वीप *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	पुद्दुचेरी	1,197	115	1,435	1,076	78	1,310	-121	-10.1%	-37	-32.2%	-125
	जोड़	346,806	112, 469	355,042	339,135	112,735	345,067	-7,671	-2.2%	266	0.2%	-9,975

* 2019 (सितंबर, 2019 तक) के लिए डेटा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

Increase in road accidents

†*140. SHRI REWATI RAMAN SINGH: Will the Minister of ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that there has been a huge increase in the traffic related road accidents in the country in the year 2019 *vis-a-vis* year 2018;
- (b) whether it is also a fact that one of the main reasons for said accidents is the use of pressure horn and inadequate information of traffic rules to the public; and
- (c) the necessary steps being taken by Government to prevent traffic related road accidents in the country in the year 2019-20?

THE MINISTER OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (SHRI NITIN JAIRAM GADKARI): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

- (a) As per provisional data obtained from the Supreme Court Committee on Road safety for the calendar year 2019 (up to September, 2019) in respect of 26 States and 5 Union Territories, there is an overall decrease in road accidents by 2.2% in comparison to the corresponding period of last calendar year 2018 (Up to September, 2018). However, the Total no. of fatalities during the period has increased by 0.2% in the same period. State-wise data is given at Annexure (*See below*).
- (b) Road accidents occur due to multiple causes such as over speeding, use of Mobile phone, drunken driving/consumption of alcohol/ drug, overloaded vehicle, poor light condition, jumping red light, overtaking, neglect of civic bodies, weather condition, fault of driver, driving on wrong side, defect in road condition, defect in condition of motor vehicle, fault of cyclist, fault of pedestrian etc. However, no specific data is available in respect of accidents caused due to use of pressure horn.
- (c) The Motor Vehicle (Amendment) Bill, 2019 passed by Parliament focuses on road safety and includes, *inter-alia*, stiff hike in penalties for traffic violations and electronic monitoring of the same, enhanced penalties for juvenile driving, cashless treatment during the golden hour, computerization/automation of vehicle fitness and driving tests, recall of defective vehicles, streamlining the third party insurance and payment of increased compensation for hit and run cases etc. The Amendment also provides for setting up of a National Road Safety Board. The Amendment has strengthened the Law to improve the road Safety scenario and reduce loss of lives.

The Ministry issues regulations to improve vehicle safety standards, undertakes site specific interventions to address black spots, and also mobilises various activities to promote road safety such as road safety advocacy and awareness programmes.

†Original notice of the question was received in Hindi.

*Annexure**Details of Road Accidents, Persons Killed and Injured*

Sl. No.	States/UT's	Jan - Sept, 2018			Jan - Sept, 2019			Increase/ Decrease during Jan - Sept, 2019 compared to Jan - Sept, 2018				
		Total number of Road Accidents	Persons Killed	Persons Injured	Total number of Road Accidents	Persons Killed	Persons Injured	Road Accidents	Road Accidents %	Persons Killed Absolute	Persons Killed %	Persons Injured
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Andhra Pradesh	15,029	5,638	17,787	15,545	6,023	18,515	516	3.4%	385	6.8%	728
2.	Arunachal Pradesh	138	107	309	142	69	249	4	2.9%	-38	-35.5%	-60
3.	Assam	6,099	2,125	5,445	6,312	2,404	5,749	213	3.5%	279	13.1%	304
4.	Bihar	7,139	4,973	5,131	7,512	5,428	5,318	373	5.2%	455	9.1%	187
5.	Chhattisgarh	10,525	3,337	9,534	10,731	3,764	10,411	206	2.0%	427	12.8%	877
6.	Goa	2,752	186	1,122	2,521	203	1,012	-231	-8.4%	17	9.1%	-110
7.	Gujarat	13,952	5,943	12,959	12,610	5,532	12,224	-1,342	-9.6%	-411	-6.9%	-735
8.	Haryana	8,521	3,882	7,401	8,140	3,744	6,976	-381	-4.5%	-138	-3.6%	-425
9.	Himachal Pradesh	2,583	1,016	4,523	2,350	907	4,039	-233	-9.0%	-109	-10.7%	-484

10.	Jammu and Kashmir	4,485	757	6,014	4,309	739	5,711	-176	-3.9%	-18	-2.4%	-303
11.	Jharkhand	3,895	2,545	2,616	3,872	2,854	2,416	-23	-0.6%	309	12.1%	-200
12.	Karnataka	31,291	8,140	38,859	30,468	7,828	38,204	-823	-2.6%	-312	-3.8%	-655
13.	Kerala	29,895	3,224	33,991	30,790	3,362	34,427	895	3.0%	138	4.3%	436
14.	Madhya Pradesh	39,101	8,092	42,088	38,492	8,235	41,869	-609	-1.6%	143	1.8%	-219
15.	Maharashtra	26,169	9,821	23,508	25,130	9,463	22,031	-1,039	-4.0%	-358	-3.6%	-1,477
16.	Manipur	410	94	703	500	106	805	90	22.0%	12	12.8%	102
17.	Meghalaya	311	124	240	408	133	275	97	31.2%	9	7.3%	35
18.	Mizoram*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Nagaland	317	25	159	216	27	121	-101	-31.9%	2	8.0%	-38
20.	Odisha	8,296	3,826	8,722	8,203	4,115	8,268	-93	-1.1%	289	7.6%	-454
21.	Punjab	4,513	3,284	2,594	4,488	3,233	2,617	-25	-0.6%	-51	-1.6%	23
22.	Rajasthan	16,541	7,702	16,671	18,012	7,882	17,787	1,471	8.9%	180	2.3%	1,116
23.	Sikkim*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Tamil Nadu	49,338	9,451	57,733	44,197	8,250	52,043	-5,141	-10.4%	-1,201	-12.7%	-5,690
25.	Telangana	16,626	4,922	18,126	16,029	5,142	16,482	-597	-3.6%	220	4.5%	-1,644
26.	Tripura*											

Oral Answers

[2 December, 2019]

to Questions

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	Uttarakhand	1,078	771	1,217	1,022	642	1,160	-56	-5.2%	-129	-16.7%	-57
28.	Uttar Pradesh	31,719	16,614	22,254	32,255	17,235	22,126	536	1.7%	621	3.7%	-128
29.	West Bengal	9,649	4,362	8,946	9,207	4,214	8,656	-442	-4.6%	-148	-3.4%	-290
30.	Andaman and Nicobar Islands	69	6	62	51	2	40	-18	-26.1%	-4	-66.7%	-22
31.	Chandigarh	239	74	226	219	58	229	-20	-8.4%	-16	-21.6%	3
32.	Dadra and Nagar Haveli	67	43	61	51	36	93	-16	-23.9%	-7	-16.3%	32
33.	Daman and Diu*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Delhi	4,862	1,270	4,606	4,277	1,027	3,904	-585	-12.0%	-243	-19.1%	-702
35.	Lakshadweep*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Puducherry	1,197	115	1,435	1,076	78	1,310	-121	-10.1%	-37	-32.2%	-125
	TOTAL	346,806	112,469	355,042	339,135	112,735	345,067	-7,671	-2.2%	266	0.2%	-9,975

*Data for 2019 (Upto September, 2019) not provided.

श्री रेवती रमन सिंह: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इन्होंने मोटर व्हीकल ऐक्ट में जो अमेंडमेंट किया, उसके बारे में क्या इन्होंने आम पब्लिक में जन-जागरण किया? क्या पब्लिक के बीच में उसका प्रचार किया गया? पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लिया गया कि नहीं? अगर नहीं लिया गया, तो क्यों?

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, मैं सदन को धन्यवाद दूँगा कि मोटर व्हीकल ऐक्ट का सब लोगों ने समर्थन किया, जिसके बाद यह ऐक्ट पास हुआ है। यह बात सच है और आज जब मैंने statistics देखी, तो मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि अभी भी मरने वालों और ऐक्सिडेंट्स की संख्या में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। इसके चार कारण हैं। इसका पहला कारण रोड इंजीनियरिंग है, जिसके लिए एनएचएआई ने सात-सात हजार करोड़ के दो प्रोजेक्ट्स तैयार करके वर्ल्ड बैंक और एडीबी को दिए हैं। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं, जहाँ ऐक्सिडेंट्स होते हैं, उनको हम आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... सर, दूसरा प्रश्न उन्होंने अवेयरनेस के बारे में पूछा है। हमने एनजीओज़ के द्वारा, यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, एजुकेशनल इंस्टिट्यूट्स के द्वारा तथा सोशल ऑर्गनाइजेशंस के द्वारा अवेयरनेस के बारे में काफी प्रोग्राम्स आयोजित किए हैं। नए ऐक्ट के कारण लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट तथा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बारे में जो हो रहा है, उससे बहुत अवेयरनेस आया है। कानून थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट होने के कारण लोगों का रिसपांस भी बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से सब प्रकार से इस बात का प्रयास करेंगे कि मरने वालों की संख्या कैसे कम हो।

श्री रेवती रमन सिंह: मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आपके जवाब में बताया गया है कि घातक इंसिडेंट्स बढ़े हैं।

श्री सभापति: यह मंत्री जी ने बताया है।

श्री रेवती रमन सिंह: उसमें 0.2 परसेंट की वृद्धि हुई है। अगर आपका इम्प्लिमेंटेशन ठीक है, तो फिर घातक इंसिडेंट्स में यह वृद्धि क्यों हो रही है? मान्यवर, मैं एक और बात मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

श्री सभापति: सवाल पूछिए।

श्री रेवती रमन सिंह: सर, सवाल यह है कि आपने गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल करने पर भी बैन लगाया है, लेकिन महानगरों में अभी भी गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है, उस पर आप रोक नहीं लगा पा रहे हैं।

श्री नितिन जयराम गडकरी: सर, सम्माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं, उसमें सच्चाई है, क्योंकि आज भी बड़े पैमाने पर लोगों में बाइक पर चलते-चलते, गाड़ी चलाते-चलाते मोबाइल पर बात करने की आदत है। सम्माननीय सभापति महोदय, इसी के लिए तो हमने नियमों को काफी कड़ाई से लागू करने का निर्णय किया है। इसके पीछे कोई रेवेन्यू earn करने की भावना नहीं थी, पर कानून के बारे में सम्मान भी नहीं है और डर भी नहीं है, ऐसी एक विचित्र अवस्था तैयार हुई थी और इसलिए यह कोशिश की गई। अब काफी बड़े पैमाने पर सुधार हो रहा है, पर यह इतना बिगड़ा हुआ था कि इसको सुधारने के लिए

[श्री नितिन जयराम गडकरी]

काफी समय लगेगा और यह आपके, सदन के सभी लोगों के सहयोग से, सभी पार्टियों और राज्य सरकारों के सहयोग से ही संभव है।

सर, मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें सबसे अच्छा काम तमिलनाडु ने किया है। तमिलनाडु ने कम से कम 29 परसेंट reduce किया है। चूंकि यह Concurrent List में है, इसलिए तमिलनाडु में वहाँ की सरकार ने जो कुछ किया है, उसके बारे में हमने सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है। हमने कहा है कि तमिलनाडु के आधार पर वही काम बाकी की राज्य सरकारें भी करें। इस तरह के प्रयास चल रहे हैं।

KUMARI SELJA: I must compliment the hon. Minister for his dynamic and open-minded working style. सर, माननीय मंत्री जी ने खुद अभी कहा कि जो नया मोटर व्हीकल ऐक्ट बनाया गया, उसका मेन मकसद पैसे earn करना नहीं था, revenue collection नहीं था, लेकिन उसमें इतनी strict penalties की गई हैं कि जितने की गाड़ी नहीं होती, उससे ज्यादा पेनल्टी ड्राइवर पर थोप दी जाती है। सर, कई स्टेट्स ने इस कानून को मानने से इनकार भी किया है और उसको डायल्यूट भी किया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी कि क्या आप इतनी stiff penalties को थोड़ा कम करने पर विचार करेंगे? क्योंकि अगर इसका उल्टा effect होता है, तो वह कानून कभी effective नहीं हो पाएगा।

श्री नितिन जयराम गडकरी: माननीय सभापति महोदय, इसमें मैंने एक केस को जांचा है, उसमें पाया कि ट्रक ओवरलोडेड था, ड्राइवर दारू पिये हुए था, उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था, पॉल्युशन सर्टिफिकेट नहीं था, तो, उसके साथ सारे violation register हुए, इसलिए फाइन लग गया।

दूसरा यह कि फाइन के बारे में Concurrent List में दिया हुआ है। ये फाइन 20 साल पहले तैयार हुए थे। आज रुपये का मूल्य कितना है, वह आप दूढ़ लें। लोगों को लगता है कि फाइन बहुत ज्यादा हो गया। ये फाइन वर्ष 1984 में लगाए गए थे, आज हम वर्ष 2019 में हैं, इतने साल के बाद तो बढ़ोतरी होने वाली है। जब 50-100 रुपये फाइन था तो लोग पुलिस के सामने violation करके गाड़ी चला रहे थे। अब उसमें कुछ अधिकार राज्य सरकार के हैं। हमने कहा कि मिनिमम 500 रुपये से 5,000 रुपये तक फाइन है। अब फाइन 500 रुपये रखना है, 600 रुपये रखना है या 5,000 रुपये रखना है, यह राज्य सरकार तय करे, उसके पास अधिकार है। बहुत-सी जगह उन्हें consider भी करना है तो वे कर सकते हैं।

तीसरी बात यह है कि अगर आप कानून को भंग नहीं करेंगे, तो फाइन नहीं लगेगा। हमें सबको यह कहना चाहिए कि आप violation क्यों करते हैं, आप क्यों अपनी जान को जोखिम में डालते हैं?

MR. CHAIRMAN: Shri M. Shanmugam. Correct. अच्छा है। This legislation is really a very progressive legislation. We must all respect it. Shri Shanmugam.

SHRI M. SHANMUGAM: Sir, in the transport industry, most of the drivers are in all unorganized sector. In Tamil Nadu, we have one Auto Board to give social security to all the drivers. On par with same and similar, I want to know whether the Minister in the Centre is also going to establish any Board to help the poor drivers.

SHRINITIN JAIRAM GADKARI: Sir, actually, in new Motor Vehicles Act, we have a lot of provisions, particularly, in the social schemes from the Government of India, we now are going to coordinate all the schemes for drivers, for cleaners and for everybody for getting benefit from AYUSHMAN to Pension Yojana. So, everywhere, we are thinking that how we can give maximum benefit to the drivers. The most important thing is now we are opening, at least, 1, 000 driving training centres in every district where the computer will take the test and it will decide whether he will pass or fail. So, on that basis, there also, the training programme is there, and, at the same programme, we are now planning to give him all type of information regarding the welfare of the drivers; and under the different schemes, we will cover that and we are very positive that how we will be helpful for the drivers.

श्रीमती कान्ता कर्दम: सभापति महोदय, मेरठ से गढ़ जाने के लिए सिंगल रोड है और बृजघाट और लखनऊ जाने के लिए आगे हाईवे पड़ता है। वहां बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं, बिल्कुल अंधेरा रहता है और वहां एकदम जंगली इलाका है। हम पेपर में पढ़ते रहते हैं कि यह 4 लेन होगा, 6 लेन होगा, लेकिन अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। मेरा मंत्री जी से आपके माध्यम से सवाल था कि क्या मेरठ से गढ़ के लिए यह रोड आपके प्रोजेक्ट में है?

श्री सभापति: आप इसको ध्यान में लीजिए। यह सुझाव है, आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 141, सुशील कुमार गुप्ता जी।

Pitiable living conditions of sportspersons

*141. SHRI SUSHIL KUMAR GUPTA: Will the Minister of YOUTH AFFAIRS AND SPORTS be pleased to state:

- (a) whether it is a fact that many sportspersons of national level are living in a pitiable condition in various parts of the country;
- (b) whether Government has taken any steps to identify them; and
- (c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS (SHRI KIREN RIJUJU): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The Ministry of Youth Affairs and Sports is implementing the Pandit Deendayal Upadhyay National Welfare Fund for Sportspersons (PDUNWFS), which caters to sportspersons of yesteryears now living in indigent conditions. PDUNWFS Scheme